INDIAN STREAMS RESEARCH JOURNAL
ISSN NO : 2230-7850
IMPACT FACTOR : 5.1651 (UIF)
VOLUME - 12 | ISSUE - 3 | APRIL - 2022

गांधीजी का राजनैतिक, वैचारिक दृष्टिकोण

डॉ. प्रमिला देवी मिरी
सहायक प्राध्यापक–राजनीति विज्ञान, शा. निरंजन केशरवानी महाविद्यालय, कोटा,
जिला बिलासपुर (छ.ग.)

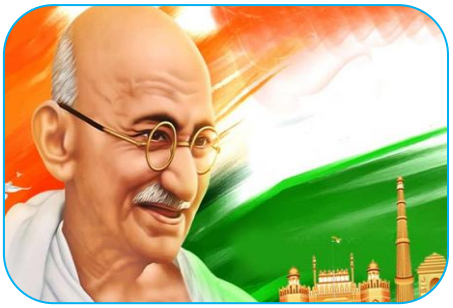

महात्मा गांधी का सिद्धांत एक राजनीतिक या सामाजिक दर्शन ही नहीं अपितु जीवन दर्शन है। इसमें सम्पूर्ण जीवन शैली के दर्शन होते हैं। गांधीजी के सिद्धांत एक समूह मात्र ही नहीं है, वे जीवन को विनियमित तथा प्रेरित करने वाले हैं। महात्मा गांधी राजनीतिक, सामाजिक विचारक के रूप में एक कर्मठ, संघर्षशील योद्धा, मानवतावादी तथा संदेशवाहक थे। जीवन में साध्य और साधन की श्रेष्ठता पर देते हुए सादा जीवन उच्च विचारों का सदैव अनुसरण करते रहे। उन्होंने न्यूनतम संसाधनों जैसे खादी, स्वदेशी पर बल दिया। उनके कार्य अंतरात्मा से प्रेरित थे। गांधी जी की प्रज्ञा और समस्याओं को देखने, समझने की दृष्टि बहुत व्यापक थी।

महात्मा गांधी ने 1893 में दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद नीति का विरोध करते हुए सार्वजनिक जीवन में प्रवेश किया था। गांधी जी का सत्याग्रह एक प्रमुख अस्त्र था जिसक वे दक्षिण अफ्रीका में सफल प्रयोग कर चुके थे। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के विरूद्ध हो रहे रंगभेद नीति का विरोध किया था और भारत आकर भी सत्याग्रह रूपी हथियार को प्रमुख अस्त्र बनाया।

1915 में गांधीजी ने गोपाल कृष्ण गोखले के निधन के बाद भारतीय राजनीति की बागडोर संभाली तथा भारतीय राजनोति में गांधी युग का प्रारंभ हुआ। भारतीय राष्ट्रवाद का गांधी युग 1920 से प्रारंभ होकर 1947 तक प्रमुख रूप से माना जाता है। इस काल में गांधीजी ने राष्ट्रीय नेता की एक महत्वपूर्ण भूमिका निभायी। भारतीय राजनीति में पदार्पण से पूर्व भी गांधीजी चम्पारण, खेडा आंदोलन तथा अहमदाबाद में सत्याग्रह का प्रयोग कर चुके थे।

प्रारंभ में गांधीजी ने भारतीय राजनीति में अंग्रेजों की नीतियों का समर्थन किया। उन्हें विश्वास था कि अंग्रेज न्यायप्रिय होते हैं लेकिन शीघ्र ही उनका भ्रम टूट गया। आगे चलकर भारत के तीनों प्रमुख राष्ट्रीय आंदोलनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी। गांधीजी ने रॉलेट एक्ट के विरोध में सत्याग्रह किया। खिलाफत आंदालन के साथ मिलकर ब्रिटिश सरकार के विरूद्ध असहयोग आंदोलन की शुरूआत की। यद्यपि असहयोग आंदोलन असफल हो गया किन्तु इस आंदोलन के जनचेतना का विस्तार किया तथा आंदोलन ने जनआंदोलन का रूप ग्रहण कर लिया। गांधीजी ने राष्ट्रीय आंदोलन को क्रांतिकारी रूप नहीं दिया लेकिन यह नगरों के बुद्धिजीवियों से लेकर ग्रामों की जनता तक पहुंच गया।

मार्च, 1930 में गांधीजी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ दिया। डांडी नामक स्थान पर अंग्रेजों द्वारा बनाए गए नमक कानून को तोड़ा जिसमें लगभग 75000 अनुयायी गांधीजी के साथ समुद्र तट तक पहुंचे। राष्ट्रीय आंदोलन का यह एतिहासिक कदम साबित हुआ। आंदोलन का तत्काल अच्छा परिणाम नहीं मिल पाया किन्तु स्वतंत्र भारत के अभियान का यह भी एक महत्वपूर्ण चरण था। यद्यपि अंग्रेज अधिकारियों ने इसका उपहास उड़ाया और क्रूरतापूर्वक दमन भी किया लेकिन गांधीजी के राजनीतिक नेतृत्व के अंतर्गत कुछ समय

पश्चात् द्वितीय सविनय अवज्ञा का प्रारंभ किया गया। गांधीजी ने गोलमेज सम्मेलन में भी भूमिका निभाई। अखिल भारतीय कांग्रेस के कतिपय नेताओं ने गांधीजी के शांतिवाद और असहयोग के सिद्धांत को अस्वीकार भी किया लेकिन पुनः गांधीजी को मार्गदर्शन के लिए आमंत्रित भी किया। 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन एक महानतम प्रयास था। यह आंदोलन तत्काल अपने लक्ष्य प्राप्ति में सफल न हो सका किन्तु कुछ समय बाद अमेरिका, इंग्लैण्ड जैसे देशों में लोकमत भारत की आजादी के पक्ष में हो गया। ब्रिटिश सरकार पर दबाव बढ़ने लगे तथा विवश होकर भारत को स्वतंत्र करना पड़ा। गांधीजी ने आदर्श राज्य की अवधारणा को प्रस्तुत किया है जो नैतिकता और पवित्र.ता के साथ संचालित होगा। वे नैतिकता और शुद्ध आचार विचार को सच्चा धर्म मानते थे। उन्होंने राजनीति में नैतिक मूल्यों को महत्व दिया है। उन्होंने कहा है कि राजनीतिक जीवन के सत्यों को लेकर नहीं चलती तो उनकी दृष्टि में राजनीति हिंसक है। गांधीजी पहले धार्मिक थ फिर राजनीतिक थे। वे मन और कर्म से धार्मिक आध्यात्मिक थे। उन्होंने खिलाफत जैसे धार्मिक प्रश्न को राष्ट्रीय आंदोलन जैसे राजनीतिक प्रश्न के साथ जोड़कर धार्मिक सद्भावना की मिसाल प्रस्तुत की। हिन्दू–मुस्लिम एकता का उदाहरण भारतीय राजनीति में गांधीजी के प्रयासों से ही सामने आया। गांधीजी के विचार में किसी एक धर्म विशेष का राज्य नहीं होता अपितु नीति एवं मर्यादा पर आधारित एक ऐसा राज्य जिसमें धर्म, जाति, लिंग, भाषा तथा क्षेत्र आदि के आधार पर किसी के साथ भेदभाव न हो। गांधीजी के विचारों ने भारतीय राजनीति में महिलाओं को भी प्रेरित एवं जागृत किया। राष्ट्रीय आंदोलन में महिलाओं की जागरूकता अविस्मरणीय घटना है। अनेक महिलाओं जैसे एनी बिसेन्ट, भागवती देवी, राजवंशी देवी, मीरा देवी आदि ने स्वतंत्रता आंदोलन में भूमिका निभाई।

गांधीजी उदारवादी, मानवतावादी थे। आदर्शवादी विचारधारा में राज्य को साध्य माना गया है और हीगल जेसे विचारक ने तो राज्य को धरती पर ईश्वर का अवतरण तक कह दिया है। गांजी जी राज्य को इतना अधिक महत्व नहीं देते। गांधी जी व्यक्ति को साध्य तथा राज्य को साधन मानते हैं। वे व्यक्तिवादी विचारकों की तरह राज्य को आवश्यक बुराई के रूप में स्वीकार करते हैं। उनका मानना था कि राज्य की उत्पत्ति मनुष्य के लिए हुई है न कि मनुष्य का राज्य के लिए। गांधीजी राज्य को लोककल्याण का साधन मानते थे। गांधीजी राज्य के विरोध करने का कई कारण मानते हैं जैसा कि राज्य हिंसावादी संगठन है। राज्य व्यक्तियों के उपर हिंसा या कानून के द्वारा ही शासन करता है। इसी तरह राज्य व्यक्तियों का नैतिक विकास नहीं करता। व्यक्तियों के उपर छोड़ देता है। व्यक्ति अपने इच्छानुसार अपना नैतिक विकास करता है। राज्य के कार्यक्षेत्र में दिनोदिन बढोत्तरी हो रही है। फलस्वरूप व्यक्ति का आत्मविश्वास कम होते जा रहा है और आत्मनिर्भर नहीं बन पा रहा है। गांधीजी व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में राज्य को बाधक मानते हैं।

गांधीजी दार्शनिक आधार पर भी राज्य के विरोधी थे। उनके विचार इस रूप में मार्क्सवादियों तथा अराजकतावादियों से मिलते हैं। गांधीजी पर अराजकतावादी दार्शनिक लियो टॉल्सटॉय तथा कोपाटकिन का प्रभाव पड़ा। गांधीजी का विश्वास था कि राज्य व्यक्ति के नैतिक, एतिहासिक, आर्थिक आदि विकास में बाधक है। व्यक्ति का नैतिक विकास उसकी आंतरिक भावनाओं, इच्छाओं पर निर्भर करता है। दूसरी ओर राज्य शक्ति पर आधारित होता है। व्यक्ति के कार्यों को राज्य प्रभावित करता है। चूंकि व्यक्ति राज्य का अंग होने के नाते राज्य के विरोध में नहीं जा सकता उसे राज्य की आज्ञाओं का पालन करना ही पड़ता है। राज्य के अंतर्गत कानूनों का पालन करना अनिवार्य है। राज्य व्यक्ति को भय और शक्ति के आधार पर ही नियंत्रण में रखता है। इसीलिए गांधीजी कहते हैं कि कोई भी कार्य जब तक स्वेच्छा से न किया गया हो, नैतिक नहीं कहा जा सकता। जब तक हम मशीनों की तरह व्यवहार करते हैं तब तक नीति का सवाल नहीं उठ सकता। यदि हम हकिसी कार्य को नैतिक कहना चाहते हैं तो यह आवश्यक है कि वह जानबूझकर कर्त्तव्य के रूप में किया गया हो।''

गांधीजी राज्य को बाध्यकारी शक्ति मानते हैं। राज्य हिंसा और पाशविक शक्ति पर आधारित होते हैं। राज्य कितना ही लोकतंत्रात्मक क्यों न बन जाए उसका आधार सेना और पुलिस बल ही है। गांधीजी का मानना था कि राज्य, हिंसा का संगठित और केन्द्रित रूप है। व्यक्ति के अंदर आत्मा है किन्तु राज्य आत्मारहित मशीन है। वह गरीबों का शोषण करता है। राज्य की उत्पत्ति ही हिंसा से हुई है तथा हिंसा से राज्य को अलग नहीं किया जा सकता।

गांधीजी राज्य का विरोध इस कारण से भी करते हैं क्योंकि राज्य की शक्ति में निरंतर वृद्धि हो रही है। इसके बावजूद राज्य अधिकाधिक शक्ति अर्जित करने के प्रयास में लगे रहते हैं। गांधीजी को भय था कि राज्य

व्यक्ति के व्यक्तित्व को प्रभावित कर सकता है उसे हानि पहुंचा सकता है। यद्यपि राज्य मनुष्य को शोषण से मुक्त करते हुए उसके विकास में सहायता पहुंचाता है। गांधीजी राज्य को संशय की दृष्टि से देखते थे। शक्ति राज्य की मूल प्रवृत्ति होती है। शक्ति पर आधारित राज्य का गांधीजी ने विरोध किया है। गांधीजी ने हिंसा शक्ति नैतिक राज्य की कल्पना की है।

अराजकतावादियों की भांति गांधीजी ने वर्तमान राज्य व्यवस्था का विरोध किया है। गांधीजी का विश्वास था कि उनके लक्ष्य की प्राप्ति स्वायत्तशाली ग्रामीण समुदायों के वर्गहीन तथा राज्यहीन लोकतंत्र में ही संभव है। लोकतंत्र के अंतर्गत भी वे पाश्चात्य लोकतांत्रिक प्रणाली एवं संसदीय शासन के विरोधी थे। वे पश्चिम की लोकतांत्रिक प्रणाली को दिखावा मानते थे जिसमें ईमानदारी और जनकल्याण की भावना कम होती है। गांधीजी ने ब्रिटिश पार्लियामेंट की तुलना बांझ महिला और वेश्या से की है। बांझ इसलिए क्योंकि उसने अच्छा काम अपने आप नहीं किया है। दूसरा मंत्रीमंडल संसद बनाती है और इसी के नियंत्रण में रहती है। मंत्रीमंडल के सदस्य ढोंगी और स्वार्थी होते हैं। एक लेखक कॉर्लाइस ने मंत्रीमंडल को दुनिया का बकवासखाना कहा है। गांधीजी ने प्रधानमंत्री नेतृत्व की भी आलोचना की है। वो संसद की चिंता नहीं करता। ब्रिटेन में संसद प्रधानमंत्री के हाथ की कठपुतली होता है। प्रारंभिक विचारों में गांधीजी राज्य की समाप्ति के पक्ष में थे। राज्य नैतिक हनन करता है अतः राज्य को समाप्त कर दिया जाना चाहिए। आदर्श समाज में अपराध बहुत कम होंगे तथा राज्यविहिन समाज में हिंसा की कोई गुंजाईश नहीं रहेगी। आदर्श समाज में विवादों का निपटारा ग्राम पंचायत स्तर पर ही हो सकता है। गांधीजी के आदर्शवादी दृष्टिकोण में सभी व्यक्ति शासक होंगे। वे संयमी होकर अपने उपर इस प्रकार शासन करेंगे कि दूसरों के मार्ग में बाधक न बनें।

गांधीजी राजसत्ता के बुराईयों से अवगत थे। अतः राज्य के कार्यक्षेत्र को कम करने के पक्ष में थे। वे हेनरी डी. थोरू के विचार से सहमत थे। स्वराज का अर्थ यह है कि व्यक्ति को सरकार के नियंत्रण से स्वतंत्र होने के निरंतर प्रयत्न करना चाहिए। चाहे वह विदेशी सरकार हो चाहे राष्ट्रीय। गांधीजी राज्य के प्रभुत्व सिद्धांत से भी सहमत नहीं थे। गांधीजी सर्वाधिकारी राज्य के विरोधी थे। वे आदर्श राज्य की स्थापना चाहते थे और जनकल्याणकारी ''रामराज्य'' पर बल देते हैं। लोकतांत्रिक शासन के अंतर्गत जनता मताधिकार में भाग लेगी और शासन कार्य में भी भागीदार बनेगी। गांधीजी इस प्रकार सीमित शासन के पक्षधर थे। शासन जनता के प्रति उत्तरदायी हो तथा विकेन्द्रीकरण के आधार पर सत्ता संचालित होनी चाहिए। गांधीजी के अनुसार ऐसा लोकतंत्र शासन हो जो दमन क बजाय अहिंसा पर, शोषण के बजाय सेवा पर, संग्रह के बजाय त्याग पर तथा केन्द्रीकरण के स्थान पर स्थानीय एवं व्यक्तिगत उपक्रम पर आधारित हो।

गांधी जी ने सत्य और अहिंसा पर आधारित राज्यविहिन समाज की परिकल्पना की है। गांधीवाद राज्य को अधिक महत्व देने के पक्ष मे नहीं है। गांधीजी ने प्लेटो की तरह आदर्शों को बताया है, पूर्ण आदर्श और उप आदर्श। पूर्ण आदर्श सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत राज्य का कोई स्थान नहीं है। अतः गांधीजी यथार्थवादी भी थे। अतः उन्होंने मानव स्वभाव को ध्यान में रखते हुए व्यावहारिक दृष्टि से उप आदर्श राज्य की कल्पना की। गांधीजी ने आदर्श राज्य में पुलिस फौज, जेल को कोई स्थान नहीं दिया था किन्तु वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए पुलिस और फौज को आवश्यक माना बशर्ते पुलिस और फौज के अधिकार अहिंसावादी हों। फौज का प्रयोग केवल बाहरी आक्रमक से रक्षा के लिए की जाए। पुलिस प्रशासन भी समाज सुधार की दृष्टि से कार्य करे। उसी प्रकार गांधीजी ने राज्य में समानता और स्वतंत्रता के अधिकारों का भी समर्थन किया है। वे जनता के हित व कल्याण को राज्य का उद्देश्य मानते हैं। वे भौतिक ही नहीं, आध्यात्मिक कल्याण पर भी बल देते हैं। गांधीजी के सर्वोदय अर्थात् सबका कल्याण अधिकारों का आधार है। अधिकारों के साथ कर्त्तव्यों पर भी बल देते हैं।

गांधीजी ने लोकतंत्र में आस्था प्रकट किया है परंतु ब्रिटिश प्रणाली की तरह नहीं चाहते थे। गांधीजी लोकतंत्र में दोष का कारण चुनाव प्रणाली को मानते थे। दलबंदी प्रथा राष्ट्रीय भावना का दमन करती है। लोकतंत्र में राष्ट्र भावना के स्थान पर दलीय भावना को बढ़ावा मिलता है। वर्तमान में विशेष रूप से भारत जैसे देश में चुनाव में दल प्रत्याशी को पार्टी का सहारा लेना पड़ता है जिसमें प्रतिनिधि अपने दल का गुलाम बनकर रह जाता है। आज दल का प्रमुख उद्देश्य एवं कार्य सत्ता प्राप्त करना ही रह गया है। प्रत्याशीगण सत्ता प्राप्त करने के झूठे वादे करते हैं, नैतिकता को दरकिनार कर देते हैं। गांधीजी वर्तमान में राज्य को समाप्त नहीं

करना चाहते क्योंकि व्यक्ति इतना पूर्ण नहीं है कि वह राज्य के बिना चल सके। इसलिए राज्य की कमियों को दूर किया जाए तथा एक आदर्श राज्य स्थापना के लिए प्रयास किये जाने चाहिए।

राज्य के लिए गांधीजी ने राजसत्ता के विकेन्द्रीकरण का सुझाव दिया है। उन्होंने पंचायती शासन पर विशेष बल दिया है। देश की आधी समस्याएं गांवों से जुड़ी होती है। अतः गांधीजी ने ग्राम पंचायत की स्थापना पर जोर दिया है। पंचायती शासन से गांवों का भलीभांति विकास हो सकेगा तथा ग्राम पंचायतों को प्रबंध और प्रशासन का अधिकार दे दिया जाना चाहिए। विकेन्द्रीकरण को सफल बनाने के लिए ग्राम पंचायतों का निर्वाचन प्रत्यक्ष हो लेकिन प्रादेशिक सरकार, राष्ट्रीय सरकार आदि के विधानमंडलों का चुनाव अप्रत्यक्ष प्रणाली से होना चाहिए जिसमें सत्ता का केन्द्र ग्राम पंचायत ही बनी रहे तथा जिससे गांवों में स्वशासन और स्वावलंबन की भावना उत्पन्न होगी।

गांधीजी केन्द्रीकृत शासन के विरोधी थे। ऐसे शासन में कुछ थोड़े से व्यक्ति सत्ता पर अधिकार कर लेते हैं और छल–कपट का सहारा लेकर अपने स्वार्थ सिद्धि में लग जाते हैं। इसके समाधान के लिए विकेन्द्रीकरा अनिवार्य है। गांधीजी आदर्श ग्राम की स्थापना करना चाहते थे। वे इस बात पर विश्वास करते थे कि सर्वोत्तम सरकार वह है जो कम से कम शासन करती है। गांधीजी ने राजनीतिक क्षेत्र व सत्ता को सर्वाधिक महत्वपूर्ण बताया है। गांधीजी के मतानुसार केन्द्रीकरण सदैव हानिकारक होता है। गांधीजी के ग्राम स्वराज का आशय प्रत्यक ग्राम एक पूर्ण गणराज्य है। प्रत्येक ग्राम अपने आवश्यकता की पूर्ति के लिए पड़ोसियों के प्रति निर्भर न हो।

संदर्भ ग्रंथ सूचीः

1. डॉ. पंजाब आनंद राव चाव्हाण– गांधी, अम्बेडकर एवं नेहरू
2. हरी"ा कुमार खत्री– आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन
3. डॉ. गोविंद प्रसाद शर्मा, श्रीमति प्रभा दुबे– प्रतिनिधि राजनीति विचारक एवं विचारधारायें
4. प्रो. पी. डी. पाठक– राजनीतिक चिंतन, भारतीय एवं पाश्चात्य
5. डॉ. विनीता कुलश्रेष्ठ
6. आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत– पुखराज जैन
7. डॉ. नंदलाल– राजनीति विज्ञान
8. डॉ. डी. एस. बघेल– भारत में ग्रामीण समाज